न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 32 / 2016 / अपील

लादूराम पुत्र मन्नाराम जाति रैगर निबासी ग्राम मण्ढ़ा (मदनी) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

उप तहसीलदार महोदय उप तहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.03.2011 मु.न. 19 / 2011 अनुवानी सरकार बनाम लादूराम न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना

वकील अपीलांट श्री नरेश [illegible] [illegible]

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वाके ग्राम मण्ढ़ा (मदनी) की भूमि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.09 है0 में से 500 वर्गमीटर की भूमि पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि महाराज श्री सज्जन सिंह जी बचना खण्डेला द्वारा सम्वत् 2008 के समय से बच्चन सिंह जी की बकलम साक्षी द्वारा मण्ढ़ा मदनी के जागीरदार ठाकुर अभय सिंह को उक्त भूमि दी गई थी, तथा ठाकुर सिंह जागीरदार ने ग्राम में भूमिहीन परिवारों को बसो—बसाओं की मंशा रखते हुये गरीब भूमिहीन परिवारों को तथा उनके खेत खलिहानों में काम करने वालो को दी गई थी। उक्त भूमि का लगातार उपयोग उपभोग अपीलार्थी लगातार करता आ रहा है एवं पक्का निर्माण कर काफी वर्षो से आवास निवास करता आ रहा है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक दबाव में आकर अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। उक्त भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन योग्य भूमि है। अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91 एल. आर.एक्ट प्रारम्भ होने पर अपीलार्थी अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.03.2011 को सक्षम न्यायालय में उपस्थित हुआ, जिसके द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात भी सक्षम न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही करते हुए यह निर्णय पारित किया कि प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे तथा शरह लगान 0.27 का 50 गुना 14 रूपया तावान वसूल किया जावे। अपीलार्थी विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय शान्तिपूर्वक व निर्बाध रूप से काबिज होकर चला आ रहा है तथा अपीलांट को मालिकाना हक हासिल हो चुका है। अपीलार्थी को हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया ताकि अपीलांट 1975 से पूर्व एवं राज्य सरकार द्वारा प्रमुख शासन सचिव राजस्व ग्रुप 6 जयपुर के परिपत्र संख्या प0 क0 9(6) राज0 / 06 / 2000 / 1 दिनांक 11.01.2008 के आदेशानुसार 01 जनवरी 2001 से पूर्व मकान या बाड़ा बनाकर सिवायचक भूमि पर रह रहे व्यक्तियों को नियमन कर मालिकाना हक दिये जाने का प्रावधान है, का लाभ नही ले सके। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2011 निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलार्थी को अतिक्रमित कब्जा नया बताया गया है, व पूर्व में अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज नहीं रहे है। मात्र पटवारी हल्का के कयास के आधार पर ही नया

Web Copy - Not Official

सरकार के परिपत्र प.स. 9(6) राज0/06/2000/1 दिनांक 11.01.2008 के आदेशानुसार मालिकाना हक प्रदान करने के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अपीलार्थी के पक्ष में नियमन कर पट्टा जारी करने हेतु आदेशित किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट उपस्थित आया एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम मण्ढ़ा के खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.09 है0 किस्म बा.3 पर पक्का डंडा बनाकर नया कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी लादूराम रेगर पुत्र मन्नाराम द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.01.2011 का अवलोकन करने पर जवाब में अंकित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 233 पुराना रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा किस्म सिवाय चक बारानी दोयम जिसके हाल खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.09 है0 पर प्रार्थी सम्वत् 2009 से पूर्व प्रार्थी के पूर्वजो के समय से बाड़ा बनाकर कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थी द्वारा काबिज 500 वर्गगज भूमि का नियमन किया जाकर प्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया जावे। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के नियमन एवं पट्टा बनवाने हेतु सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट में अतिक्रमण पक्का डंडा बनाकर नया कब्जा करना अंकित किया हुआ है। अतः सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2011 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश) 6/7/18

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official